प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 22.08.2026

जनपद-भदोही

*_गोपीगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गैंग लीडर राजू सेठ के गैंग का एक और गैंगस्टर अभियुक्ता गिरफ्तार, यह गिरोह लाभ प्राप्त करने के लिये बैंकों को जानबूझकर आर्थिक क्षति पहचाने के उद्देश्य से नकली आभूषण को असली आभूषण के रूप में प्रमाणित कर कूट रचना एवं धोखाधड़ी करते हुए आपराधिक षडयंत्र कर बैंक को नुकसान पहुंचाने जैसा करते हैं जघन्य अपराध_*

....

थाना गोपीगंज पुलिस ने धोखाधड़ी एवं जालसाजी करने वाले संगठित गिरोह के विरुद्ध दर्ज गैंगस्टर एक्ट (उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम) में लगातार वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इस गिरोह के गैंग लीडर सहित 09 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

शासन/पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न अभियानों के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक भदोही *"श्री अभिनव त्यागी"* के निर्देशन *"श्री शुभम अग्रवाल"* अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में शान्ति एवं कानून व्यवस्था के मद्देनजर अपराधियों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए गैंग लीडर राजू सेठ पुत्र बसन्तलाल व गैंग के 21 सक्रिय सदस्यों द्वारा गिरोह बनाकर लाभ प्राप्त करने के लिये बैंक को जानबूझकर आर्थिक क्षति पहचाने के उद्देश्य से नकली आभूषण को असली आभूषण के रूप में प्रमाणित करते हुए बैंक के साथ कूट रचना एवं धोखाधड़ी करते हुए आपराधिक षडयंत्र कर बैंक को नुकसान पहुचाने जैसा जघन्य अपराध करने के संबंध में थाना गोपीगंज पर धारा 3(1) गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि० 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

श्री अभिनव त्यागी, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत *श्री शुभम अग्रवाल,* अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 22-08-2026 को अभियुक्ता गुड़िया को उसके निवास स्थान के पास से महिला आरक्षीयों की उपस्थिति में गैंग लीडर राजू सेठ के गैंग की सक्रिय महिला सदस्य गुड़िया को नियमानुसार गिरफ्तार कर अभियुक्ता को सुरक्षात्मक अभिरक्षा में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण:-

गु ड़या पत्नी मुख्तार, निवासी काली देवी बड़े शव की मन्दिर थाना गोपीगंज, जनपद भदोही उम्र लगभग 45 वर्ष।

पूछताछ का ववरण:-

पूछताछ के दौरान महिला अ भयुक्त ने अपना नाम व पता स्वीकार कया। उसे उसके वरुद्ध थाना गोपीगंज पर दर्ज मु0अ0सं0 174/26 धारा 3(1) उ0प्र0 गरोह बन्द एवं समाज वरोधी क्रयाकलाप निवारण अ धनियम के बारे में अवगत कराया गया, जिसमें वह काफी समय से वांछित चल रही थी।

* गरफ्तार करने वाली पु लस टीम:-*

उ0नि0 चन्द्रशेखर राय, म0का समीक्षा, म0का0 आकृति त्रिवेदी, म0का0 गु ड़या, का0 मनोज यादव (थाना गोपीगंज, जनपद भदोही)